| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|

20-3-21

# न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल

## विविध वाद संख्या 146/2019–2020

## (भूदान पत्र–दान पत्र संपुष्टि)

## आदेश

भूदाता सोवराती मियाँ, पिता–जुमरात मियाँ, ग्राम–मखमीलपुर, थाना+अंचल –करपी, जिला–अरवल से संबंधित कार्यालय मंत्री जिला भूदान कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल के पत्रांक 52 दिनांक 11.10.2019 द्वारा दान पत्र संपुष्ट हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में भूदान–यज्ञ–दान पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराया गया। भूदान–यज्ञ–दान पत्र से संबंधित भूमि निम्नवत है:-

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| 41 | 271 | 01 कठा | उतर–गनौरी मियाँ<br>दक्षिण–बखोरा साव<br>पूरब–नीज<br>पश्चिम–नोखा मिस्त्री |

**मौजा– मखमीलपुर, थाना नं०–21, थाना+अंचल – करपी, जिला–अरवल**

भूदान दान पत्र के आलोक में वाद संचालित किया गया। दाता की उपस्थिति हेतु कार्यालय पत्रांक 843 दिनांक 31.12.2019 से अंचल अधिकारी के माध्यम से नोटिस तामिला कराया गया एवं भूदान यज्ञ–दान पत्र के आलोक में वर्णित भूमि की जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। अंचल अधिकारी, करपी द्वारा बताया गया कि थाना नं0 21 अंचल करपी से संबंधित नहीं है। दान पत्र में वर्णित थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है। भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि की जॉच अंचल अधिकारी, अरवल से कराया गया अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा पत्रांक 877 दिनांक 30.07.202से जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉच प्रतिवेदन के आलोक में वर्तमान कब्जाधारी को न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। भूदाता के तरफ से न्यायालय में कोई उपस्थित नहीं हुए और ना ही किसी के द्वारा वर्णित भूमि के संबंध में आपति दर्ज किया गया। कब्जाधारी,न्यायालय में उपस्थित हुए उन्होने अपने आवेदन के साथ भूमि का कागजात की छायाप्रति दाखिल किये।

भूदान यज्ञ–दान पत्र एवं अंचल अधिकारी, अरवल का जॉच प्रतिवेदन तथा अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। भूदान दान पत्र पर भूदाता का अंगुठा का निशान अंकित है। इदृश मियॉ, गिरजा सिंह का गवाह में नाम दर्ज है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि खतीयान उपलब्ध नहीं है। भूदाता एवं खतियान धारक का पता नहीं चलता है। वर्णित भूमि पर वर्तमान में अरविन्द प्रसाद, पिता–रामजन्म सिह, ग्राम–मोकरी, थाना+जिला–अरवल दखल कब्जा में है। भूमि धनहर है। दानकर्ता के पता के अनुसार पता नहीं चलता है, खेसरा के अनुसार खाता 69 खेसरा संख्या 271 रकवा 30 डी0 है। भूमि रैयति खाते की है। प्रस्तावित भूमि भूहदबंदी, गैरमजरूआ खास, कैसरे हिन्द, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, चिरारी आदि से मुक्त है।

कब्जाधारी का कहना है कि खाता 41 प्लौट नं0 271 रकवा 01 कठा भूमि पर मेरे जमावंदी में नहीं है, और ना ही मेरे दखल कब्जा में है। उक्त खाता खेसरा के भूमि से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पिता द्वारा भूदान यज्ञ के अन्तर्गत भूदान दान नहीं किये है। मेरे कब्जा वाला भूमि खाता नं0 72 वर्ष 2017–18 खाता नं068–67 वर्ष 2019–20 खाता नं0 77 वर्ष 2018–19 एवं खाता नं0 21 वर्ष 2019–20 का राजस्व रसीद का छायाप्रति दाखिल किया है।

भूदान दान पत्र में वर्णित भूमि मौजा मखमीलपुर थाना नं0 21 अंकित है, जवकि मौजा

मखमीलपुर करपी अंचल से संबंधित है। जबकि थाना नं0 21 अंकित है। अंचल अधिकारी करपी द्वारा बताया गया है कि दान पत्र में वर्णित थाना नं0 21 करपी अंचल से संबंधित नहीं है। थाना नं0 21 अरवल अंचल से संबंधित है। अंचल अधिकारी अरवल ने जॉच प्रतिवेदन में उलेखित किया है कि वर्णित भूमि पर अरविन्द प्रसाद, पिता–रामजन्म सिंह का दखल कब्जा है। कब्जाधारी द्वारा आवेदन देकर बताया गया है कि वर्णित भूमि से हमें कोई सरोकार नहीं है। वर्णित भूमि मौजा मखमीलपुर में है। जबकि मेरा मौजा मखदुमपुर कवीर में पड़ता है। मेरा भूमि श्री झपसी सिंह यादव , पिता–श्री वली सिंह यादव द्वारा वक्सीनाम से प्राप्त है जिसका जमावंदी कायम है और राजस्व का भुगतान कर रहे है।

अतः भूदान यज्ञ दान पत्र में मौजा एवं थाना नं0 गलत है। अंचल अधिकारी अरवल के जॉच प्रतिवेदन के अनुसार थाना नं0 21 मौजा मखदुमपुर कवीर ग्राम–मोकरी अंचल –अरवल में पड़ता है, जविक भूदाता द्वारा दान दिया गया भूमि मौजा मखमीलपुर का है। जिसे संपुष्ट करना उचित प्रतित नहीं होता है। दान पत्र को असंपुष्ट किया जाता है । इसकी एक प्रति कार्यालय मंत्री भूदान यज्ञ कार्यालय जहानाबाद–सह–अरवल एवं एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

25/08/2011

भूमि सुधार उप समाहर्ता
अरवल।

25/08/2011

भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।